



2026:AHC:126683

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19386/2026

अभिषेक

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : रविंद्र कुमार यादव, संदीप कुमार यादव

विपक्षी के अधिवक्ता : जी0ए0

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान ए0जी0ए0 की बातें सुनीं और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री को भी देखा।

2. यह जमानत अर्जी आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध/एफआईआर संख्या 67/2025 धारा 352, 309 (6) और 115 (2) बीएनएस थाना-बाबूरी, जिला-चंदौली में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 07.05.2026 से जेल में है। उन्होंने यह भी कहा कि एफआईआर में आवेदक का नाम नहीं है और उसका नाम सह-आरोपी शाहनवाज़ के कबूलनामे से सामने आया। उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपी शाहनवाज़ को इस न्यायालय की एक पीठ ने आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 10312/2026 में 09.04.2026 के आदेश से पहले ही जमानत दे दी है। इन परिस्थितियों में, समानता के आधार पर आवेदक भी जमानत पाने का

हकदार है। अगर उसे ज़मानत दी जाती है, तो वह ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और सुनवाई की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. माननीय ए0जी0ए0 ने आवेदक की ज़मानत की अर्ज़ी का विरोध किया है, लेकिन निष्पक्षता से यह स्वीकार किया है कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपी, शाहनवाज़ को पहले ही ज़मानत मिल चुकी है।

5. आवेदक के अधिवक्ता और ए0जी0ए0 की दलीलों पर विचार करने, एफआईआर और अन्य संबंधित दस्तावेज़ों को देखने, और अपराध की प्रकृति, सबूत, आरोपी की भूमिका और सज़ा की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए—और बिना मामले के गुण-दोष पर कोई राय दिए—मेरी यह सोच है कि आवेदक ज़मानत का हकदार है। समानता के आधार पर ज़मानत की अर्ज़ी **मंज़ूर** की जाती है।

6. आवेदक-**अभिषेक**, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल है, को ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित अदालत की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत मुचलका और दो ज़मानतदार पेश करे और निम्नलिखित शर्तों का पालन करे।

(i) आवेदक उस अपराध जैसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें शामिल नहीं होगा, जिसका उस पर आरोप है या जिसके करने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक एक लिखित वचन देगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों, तो वह सबूत के लिए तय तारीख पर सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का पालन न करने पर, विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

(iv) आवेदक तय तारीखों पर विचारण न्यायालय के सामने व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से मौजूद रहेगा। बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित रहने पर, विचारण न्यायालय उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिताकी धारा 229-ए (संबंधित धारा 269 बीएनएस) के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(v) यदि आवेदक सुनवाई के दौरान ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 82 (संबंधित धारा 84 बीएनएसएस) के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय कानून के अनुसार उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए (संबंधित धारा 209 बीएनएस) के तहत कार्रवाई शुरू करेगा।

(vi) आवेदक (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) सीआरपीसी की धारा 313 (संबंधित धारा 351 बीएनएसएस के तहत बयान दर्ज करने के लिए तय तारीखों पर विचारण न्यायालय के सामने व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

7. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय द्वारा ज़मानत रद्द करने का आधार बन सकता है।

(संजीव कुमार, न्यायमूर्ति)

10 जून, 2026